कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।
पत्रांक 596 / 5-8 दिनांक, कौशाम्बी, अक्टूबर 13 , 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 इलाहाबाद वृत्त,
इलाहाबाद।

विषय– जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण मे बाधक 1753 वृक्षो के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध मे।

संदर्भ– आपका पत्रांक 1101/15–2 दिनांक 30.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत प्रस्ताव मे लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है–

1. वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगायी गयी 18 मानक शर्तो का प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का जी0ओ0 रिफरेन्स डिजीटल मैप व केएमएल फाइल आन लाइन अपलोड कर दी गयी है व मैप अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित है।
3. क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित संशोधित टोपो शीट संलग्न करते हुए आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
4. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मोहर सहित संलग्न है व याचक विभाग द्वारा आनलाइन अपलोड करा दिया गया है।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
7. संशोधित स्टैंन्र्ड कास सेक्शन संलग्न करा दिया गया है।
8. मलवा उत्सर्जन का विवरण व निस्तारण व रीक्लेमेशन प्लान निर्धारित प्रारूप मे संलग्न करा दिया गया है।
9. मलवा उत्सर्जन गैर वन भूमि पर नही हो रहा है।
10. आन लाइन क्रमांक–3 का डिस्टिक वाइज एरिया आन लाइन अपलोडिगं मे दिखाई नही दे रहा था। अतः अभी भी निल फीड है।
11. आन लाइन पार्ट एवं हार्ड कापी के भाग–2 मे विभाग/ जिला प्रोफाइल संशोधित कर दी गयी है।

संलग्नक– प्रस्ताव की तीन प्रतियां।

भवदीय,

(ओ0पी0 अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग कौशाम्बी।

D:\D-man-2011-12\Project P.W.D 2\Genral 2015.doc